न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, शिव

(पीठासीन अधिकारी श्री हनुमानाराम, RAS)

राजस्व वाद संख्या 168/2020 अन्तर्गत धारा 183, 188 RT Act.

वादीगण	बनाम	प्रतिवादीगण
मगाराम पुत्र पन्नाराम जाति कुम्हार, निवासी नीम्बला तहसील शिव, जिला बाड़मेर		1. क्षेत्रीय वन अधिकारी, वन विभाग शिव 2. उपवन संरक्षक, वन विभाग बाड़मेर 3. तहसीलदार शिव

उपस्थित :– वादी अधिवक्ता – श्री देवीलाल कुमावत।

–:: निर्णय ::–

दिनांक : 18.10.2024

वादी के वादपत्र का संक्षिप्त में सार इस प्रकार है कि वादी की खातेदारी के खेत मौजा नीम्बला, तहसील शिव के खसरा नम्बर 181, 550/181 रकबा क्रमशः 24.04, 0.10 बीघा कुल रकबा 24.14 बीघा के आये हुए है। जिस पर वादी का निरन्तर कब्जा एवं काश्त चला आ रहा है। वादी की उक्त आराजी के सेढा सेढ ही प्रतिवादीगण की खातेदारी भूमि आयी हुई। वादी द्वारा अपनी खातेदारी की पक्की नेखमबंदी करवाने हेतु न्यायालय में आवेदन पेश कर तहसीलदार शिव के निर्देशन में वादी एवं प्रतिवादीगण के रूबरू भूमि की पैमाईश करवाई गई। उक्त पैमाईश रिपोर्ट में वादग्रस्त भूमि के खसरा नम्बर 181 में वन विभाग की नर्सरी हेतु बाउण्ड्री का निर्माण अवैध एवं अनाधिकृत कब्जा पाया गया है। उक्त अतिक्रमित भूमि का रकबा 01.18 बीघा है। जब मौके पर वादी व राजस्व कर्मचारियों द्वारा वन विभाग के कर्मचारियों को कब्जा हटाने हेतु कहा, जिस पर कर्मचारी द्वारा उच्चाधिकारियों से बात कर जवाब देने का आश्वासन दिया किन्तु कब्जा आज दिन तक नहीं हटाया गया है। वादी के शांतिप्रिय एवं ग्रामीण होने का नाजायज फायदा उठाकर प्रतिवादीगण, वादी की खातेदारी भूमि में अतिक्रमण कर अपना कब्जा पुख्ता करने पर आमादा है। वादी द्वारा अपनी खातेदारी भूमि की नेखमबंदी भी करवाई हुई है, जिसमें प्रतिवादीगण का अतिक्रमण होना बताया गया है तथा वर्तमान में प्रतिवादीगण द्वारा मौके पर वादी की खातेदारी में से कब्जा हटाने से इंकार कर दिया गया है जबकि प्रतिवादीगण को ऐसा करने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है। उक्त विवादित आराजी का वादी रेकर्डेड खातेदार है तथा मौके पर काबिज काश्त है। अतः वादी द्वारा उक्त वाद प्रतिवादीगण द्वारा वादी की खातेदारी भूमि में किये गये जबरन अतिक्रमण को हटाया जाकर उन्हे बेदखल करते हुए विवादित आराजी का कब्जा वादी को दिलवाने बाबत् वाद प्रस्तुत किया गया है।

वाद पंजीयन कर प्रतिवादीगण को जरीये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 द्वारा जवाब पेश कर विवादित आराजी में वन भूमि खसरा नम्बर 180 रकबा 5.9893 हैक्टेयर की पैमाईश राजस्व विभाग एवं वन विभाग की सर्वेयर टीम के साथ संयुक्त सर्वे करवाने का निवेदन किया गया। उक्त वादग्रस्त आराजी के संबंध में तहसीलदार शिव से मौका एवं रेकर्ड के संबंध में तथ्यात्मक मौका रिपोर्ट तलब की जाकर प्राप्त की गई। तहसीलदार शिव से प्राप्त मौका रिपोर्ट के संलग्न मौका फर्द अनुसार वादग्रस्त आराजी के खसरा नम्बर 181 में वन विभाग की नर्सरी हेतु सीमेंट ईंटों की बाउण्ड्री पाई गई, जिसकी लम्बाई 48 गट्ठा × 54 गट्ठा तथा चौड़ाई 18 गट्ठा × 12 गट्ठा है, जिसका कुल रकबा 01.18 बीघा भूमि पर वन विभाग का अतिक्रमण पाया गया। उक्त विवादित आराजी के संबंध में वन विभाग द्वारा अपने खसरा नम्बर 180 की पैमाईश हेतु निवेदन किये जाने पर वन विभाग के सर्वेयर एवं राजस्व विभाग के साथ संयुक्त रूप से पैमाईश की गई। उक्त संयुक्त टीम की मौका रिपोर्ट के अनुसार भी वादी के खातेदारी खसरा नम्बर 181 में वन विभाग का अतिक्रमण मौके पर नर्सरी बाउण्ड्री बनी हुई होना पाया गया है तथा मौका फर्द के संलग्न नक्शा में बरंग लाल दर्शाया गया है। वादी साक्ष्य में साक्ष्य स्वरूप वादी द्वारा अपना बयान शपथ पत्र पेश किया गया।

वादी अधिवक्ता की बहस सुनी गई। वादी अधिवक्ता द्वारा वादपत्र के तथ्यों को दोहराते हुए वाद को स्वीकार कर वादी की खातेदारी भूमि से प्रतिवादीगण को बेदखल करते हुए

सहायक कलक्टर
(SDO) शिव

Scanned with OKEN Scanner

वादग्रस्त आराजी पर प्रतिवादीगण द्वारा किये गये अतिक्रमण को हटाया जाकर कब्जा वादी को दिलवाये जाने का आदेश किये जाने का निवेदन किया गया।

हमने वादी अधिवक्ता की बहस पर मनन तथा पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्यों का गंभीरतापूर्वक अवलोकन किया गया। चूंकि जमाबंदी के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादी विवादित आराजी का रेकर्डेड खातेदार है। वादी द्वारा अपनी खातेदारी भूमि पर प्रतिवादीगण द्वारा किये गये अतिक्रमण को हटाकर मौके पर प्रतिवादीगण को बेदखल कर कब्जा वादी को दिलवाने का निवेदन किया गया है। उक्त वादग्रस्त आराजी के संबंध में तहसीलदार शिव से प्राप्त मौका रिपोर्ट के संलग्न मौका फर्द अनुसार वादग्रस्त आराजी के खसरा नम्बर 181 में वन विभाग की नर्सरी हेतु सीमेंट ईंटों की बाउण्ड्री पाई गई, जिसकी लम्बाई 48 गट्ठा × 54 गट्ठा तथा चौड़ाई 18 गट्ठा × 12 गट्ठा है, जिसका कुल रकबा 01.18 बीघा भूमि पर वन विभाग का अतिक्रमण/ कब्जा होना साबित है। इसके अलावा प्रतिवादीगण द्वारा वन विभाग के खसरा नम्बर 180 रकबा 5.9893 हैक्टेयर भूमि की राजस्व विभाग एवं वन विभाग की संयुक्त सर्वे टीम के साथ संयुक्त रूप से पैमाईश करवाने हेतु निवेदन किये जाने पर संयुक्त रूप से पैमाईश की गई। उक्त संयुक्त सर्वे टीम की मौका रिपोर्ट के अनुसार भी वादी के खातेदारी खसरा नम्बर 181 में वन विभाग का अतिक्रमण होना पाया गया है तथा मौका फर्द के संलग्न नक्शा में बरंग लाल दर्शाया गया है। वादी द्वारा वाद के समर्थन में साक्ष्य स्वरूप शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया गया है। अतः उक्त स्थिति में वादी की खातेदारी भूमि में प्रतिवादीगण द्वारा अतिक्रमण किया हुआ साबित होने तथा वादी अपनी खातेदारी भूमि से अतिक्रमण हटाने का विधिक अधिकारी होने से वाद को स्वीकार किये जाने में कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होती है।

लिहाजा वादी का वाद स्वीकार किया जाकर वादी की खातेदारी भूमि मौजा नीम्बला, तहसील शिव के खसरा नम्बर 181 रकबा 24.04 बीघा भूमि में राजस्व टीम का गठन कर पैमाईश करने हेतु तहसीलदार शिव को निर्देशित किया जाता है, साथ ही विवादित आराजी में प्रतिवादीगण का अतिक्रमण व कब्जा पाया जाने पर नियमानुसार अतिक्रमण हटाया जाकर बेदखली की कार्यवाही करते हुए कब्जा वादी को सुपुर्द करने के आदेश दिये जाते है। आवश्यकता होने पर थानाधिकारी, पुलिस थाना शिव से पुलिस इमदाद प्राप्त की जावें। तद्नुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO) शिव जिला बाड़मेर

सहायक कलक्टर
(SDO) शिव

निर्णय आज दिनांक 18.10.2024 को सरे इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
(SDO) शिव

Scanned with OKEN Scanner